इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2017—आश्विन 14, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-480-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त द्वारा दिनांक 6 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 2 से 23 सितम्बर 2017 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-691-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश राज्य, सूचना आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. ई-1-324-2017-5-एक.—श्री मुकेश चन्द गुप्ता, भाप्रसे (1998), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-5-577-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक शाह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 20 से 28 सितम्बर 2017 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे, विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को दिनांक 9 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस., तत्कालीन अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग-पूल) को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 17 जुलाई से 31 अगस्त 2017 तक, छियालीस दिन के अनुक्रम में दिनांक 1 सितम्बर से 30 नवम्बर 2017 तक इकसठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-913-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-1020-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री अदीति गर्ग, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा (वर्तमान में असिस्टेंट सेक्रेटरी, भारत सरकार) को फेज II प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त 2 से 11 अक्टूबर 2017 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री अदीति गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदीति गर्ग अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. ई.-5-546-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. सी. पी. केशरी, विशेष आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2017 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. सी. पी. केशरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग को दिनांक 7 से 20 दिसम्बर 2017 तक चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-313-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री फैज अहमद किदवई (1996), पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.	प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मंडी, भोपाल.	—
2	श्री राजेश प्रसाद मिश्रा (1998), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	—
3	डॉ. मसूद अख्तर (2002), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	अपर सचिव म. प्र. शासन.
4	श्री रवि डफरिया (2006), सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	—

2. उपरोक्तानुसार श्री फैज अहमद किदवई द्वारा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मंडी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मंडी भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मंडी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे (2008), संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-325-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुरेश कुमार (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री बी. विजय दत्ता (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (अति. प्रभार).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़.	—
3	श्री मोहित बुन्दस (2011), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल.	अपर कलेक्टर, भोपाल (इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/247/2017 5/एक, दिनांक 26 जुलाई 2017, जिसके द्वारा श्री मोहित बुन्दस की पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना के पद पर की गई है, एतद्द्वारा निरस्त की जाती है).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	डॉ. फटिंग राहुल हरिदास (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	सुश्री सोनिया मीना (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. एफ-23-66-1999-4-पच्चीस.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अगस्त 2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

(2) सरल क्रमांक 03 पर श्री बाबूलाल गौर, मान. विधायक के स्थान पर श्री भूपेन्द्र सिंह, मान. मंत्री मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग एवं सरल क्रमांक 04 श्री ज्ञान सिंह, मान. सांसद के स्थान पर श्री लाल सिंह आर्य, मान. राज्यमंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को समिति में सदस्य नियुक्त किया जाता है. शेष आदेश यथावत् है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशकृत तिवारी, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. एफ-10-01-2016-बी-ग्यारह.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिये मेसर्स नियो कार्प इंटरनेशनल लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार (मध्यप्रदेश) को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषित किये जाने की कालावधि और "एक वर्ष" के लिये बढ़ायी जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10-01-2016-बी-ग्यारह, दिनांक 4 अक्टूबर, 2016 की प्रवर्तन कालावधि के दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 से और "एक वर्ष" की कालावधि के लिये निम्न शर्त पर और बढ़ायी जाती है कि:—

(i) सहायता उपक्रम अवधि में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कम्पनी द्वारा नियमित रूप से ब्याज का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा.

साथ ही

उक्त प्रयोजन के लिये जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा-2 में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. एफ 10-1-2016-बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-01-2016-बी-ग्यारह, दिनांक 4 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

Bhopal the 14th September 2017

No.F-10-01-2016—B-XI.—WHEREAS, the State Govt. is satisfied that the purpose for which relief was given to NEO CORP INTERNATIONAL LIMITED, PITHAMPUR DISTT. DHAR (MADHYA PRADESH) Still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief Undertaking for a further period of one year.

NOW, THEREFORE, in exerice of the power conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram (Vishesh Upabandh) Sanshodan Act, 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby extend the period of operation of the Notification No. F. 10-01/2016—B-XI, dated 4th October 2016 for a further period of one year. from 4th October 2017 on following conditions.

(i) Company shall pay interest requlary to the bankers/finacial Institutions during period of relief Undertaking.

and also

AMENDMENT

In the said Notification in paragraph 2 for the words "One Year the Words'' "Two Year'' Shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. K. BARONIA Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. 1682-2017-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् गृह परियोजना, डोंगलिया, जिला खण्डवा के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4976 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4976 के प्रमाण-पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 30 अगस्त 2017 से 29 अक्टूबर 2017 तक के लिये छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. 1751-2017-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लिमि. विंध्याचल, जिला-सिंगरौली के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4656 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4656 के प्रमाण-पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 2 सितम्बर 2017 से 1 अक्टूबर 2017 तक के लिये छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1-113-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, सेनानी 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल को संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षण में 25 सितम्बर 2017 से 13 अक्टूबर 2017 तक U.S.A. में आयोजित International Visitor Leadership Programme for a three week Programme entitled "Combating Transnational Security Threats'' कार्यक्रम में सम्मिलित होना है. उक्त कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त दिनांक 14-16 अक्टूबर 2017 तक तीन दिवस एक्स इण्डिया अवकाश की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय म. प्र. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रुप से सेनानी 7वीं वाहिनी, विसबल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए) 187-91-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री राजेश चावला, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जे. एन. पी. ए. सागर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 10 व 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक के विस्तार वर्ष 2017 के अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर यात्रा सहारनपुर (उ. प्र.) भ्रमण हेतु दस दिवस अवकाश नगदीकरण सहित अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री राजेश चावला, भापुसे	—	स्वयं
2. श्रीमती सुनीता चावला	—	पत्नी
3. कार्तिक चावला	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेश चावला, भापुसे का कार्य श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे, को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जे. एन. पी. ए. सागर, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश चावला, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, श्री जे. एन. पी. ए. सागर, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्र. एफ 3-23-2017-छः.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में स्थित विरासती शासकीय देवस्थानों के जीर्णोद्धार के लिये निविदा प्रक्रिया से छूट देते हुये, लोक निर्माण विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने हेतु निर्धारित 9 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क पर इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हेरिटेज (INTACH) को जीर्णोद्धार कार्य की एजेंसी बनाई जाकर इस संस्था से निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 17 दिनांक 22 अगस्त 2017 के द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ दी जाती है. समय-समय पर विभाग द्वारा जिन स्थानों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया जायेगा उसके विवरण इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हेरिटेज (INTACH) को भेजे जावेंगे. संस्था से इसका विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति (कार्य आदेश) जारी किया जावेगा. इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्टर हेरिटेज (INTACH) से इस अनुरुप एक एम. ओ. यू. भी सम्पादित किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017

फा. क्र. I-1-2002-4007-2017-इक्कीस.—ब (एक).— राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 11 सितम्बर 2017 को मान्य करते हुए श्री श्याम सुन्दर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (म. प्र.) का त्याग पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2017 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 22/23 सितम्बर 2017

फा. क्र. 4021-2017-इक्कीस.—ब (दो).— राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों/अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये मुरैना सत्र खण्ड के तहसील जौहरा एवं तहसील सबलगढ़ के लिये एतद्द्वारा, नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजय कुमार गुप्ता (जन्मतिथि 5-9-1973)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील जौहरा, जिला मुरैना.
2	श्री राघवेन्द्र कुमार शर्मा (जन्मतिथि 15-12-1962)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. 2199-2629-2017-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन के प्रयोजन के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय	जिले के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	देवास	देवास	श्रीमती कविता इवनती, JMFC
2	इंदौर	इंदौर	श्रीमती विनीता गुप्ता, JMFC
3	उज्जैन	उज्जैन	कु. पुनीता चौहान, JMFC
4	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती मंजू सिंह, JMFC

No. 2199-2629-2017-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column No. (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dewas	Dewas	Smt. Kavita Iwnati, JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Indore	Indore	Smt. Vinita Gupta, JMFC
3	Ujjain	Ujjain	Ku. Puneeta Chauhan, JMFC
4	Shajapur	Shajapur	Smt. Manju Singh, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्र.-99-स्था. निर्वा.-मण्डी-167-2017.—एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 178-छतरपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 आमखेरा के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार, पता ग्राम परापट्टी, कृषक सदस्य के रूप में सम्यक्‌रूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :—

क्र.	निवाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार	कृषक सदस्य	ग्राम परापट्टी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

क्र.-100-स्था. निर्वा.-मण्डी-156-2017:—एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 181-बकस्वाहा, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 बाजना के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार श्री गनपत पिता जुगला, पता ग्राम निमानी, तहसील बकस्वाहा, कृषक सदस्य के रूप में सम्यकरूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :—

क्र.	निवाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गनपत सिंह जुगला	कृषक सदस्य 02-बाजना	ग्राम-निमानी, तहसील बकस्वाहा जिला-छतरपुर, मध्यप्रदेश.

क्र.-101-स्था. निर्वा.-मण्डी-156-2017.—एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 179, राजनगर, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 08 खर्रोही के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार श्री देवराज सिंह यादव, पता ग्राम पोस्ट टिकुरी (छन्नापुरवा) कृषक सदस्य के रूप में सम्यकरूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :—

क्र.	निवाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री देवराज सिंह यादव	कृषक सदस्य 08-खर्रोही	ग्राम-पोस्ट टिकुरी (छन्नापुरवा), तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 1561-प्रका.-भू-अर्जन-2017-18—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—सहिजना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.264 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.026
79	0146
72	0.050
73	0.004
84	0.026
169	0.012
योग . .	0.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत सहिजना माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1563-प्रका.-भू-अर्जन-2017-18—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बड़ागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.237 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2426	0.108
2427	0.054
2434	0.060
2377	0.015
योग . .	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत बघमड़ा माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1565-प्रका.-भू-अर्जन-2017-18—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—शिवपुरवा-601
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.210 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
515	0.052
569	0.028
467	0.090
465	0.040
योग . .	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत शिवपुरवा माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 1570-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—भड़री
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.908 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
8	0.006
38	0.271
39	0.014
40	0.010
78	0.008
79	0.072
125	0.009
126	0.110
139	0.005
140	0.068
142	0.041
135	0.015
150	0.037
151	0.035
168	0.003
169	0.031
138	0.047
136	0.046
134	0.069
156	0.011
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	0.908
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.000
अ + ब का योग . .	0.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1572-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—जमुना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.483 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
207	0.011
370	0.041
208	0.004
372	0.084
369	0.005
211	0.023
212	0.011
367	0.038
368	0.001
365	0.021
364	0.047
361	0.077
237	0.003
243	0.030
242	0.038
247	0.037
249	0.044
251	0.028
294	0.001
296	0.032
287	0.027
288	0.011
289	0.014
282/770	0.009
283/771	0.001
282	0.010
283	0.011
279	0.003
276	0.031
275	0.043
309	0.001
273	0.013
311	0.036
312	0.006
681	0.038
680	0.015
682	0.037
679	0.008
694	0.114
699	0.094
664	0.002
663	0.026
662	0.032
661	0.027
660	0.055
417	0.017
418	0.024
419	0.017
421	0.037
423	0.091
429	0.009
472	0.030
471	0.016
470	0.027
468	0.001
469	0.021
466	0.096
462	0.026
461	0.001
463	0.001
499	0.037
498	0.120
506	0.011
518	0.015
517	0.051
508	0.021
516	0.074
515	0.010
524	0.101
523	0.090
538	0.047
539	0.071
543	0.080
560	0.068
546/777	0.006
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	2.456

(1)	(2)
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
371	0.009
684	0.010
557	0.008
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.027
अ + ब का योग . .	2.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1574-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—कस्तरा
(घ) क्षेत्रफल—0.974 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
73	0.075
86	0.003
53	0.052
87	0.007
88	0.076
89	0.008
105	0.001
100	0.078
104	0.017
101	0.017
102	0.028
85	0.002
74	0.005
75	0.080
79	0.109
80	0.005
81	0.005
143	0.051
142	0.080
145	0.004
140	0.058
141	0.001
169	0.002
170	0.023
168	0.055
167	0.034
166	0.063
165	0.008
53/329	0.010
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	0.957
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
222	0.017
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.017
अ + ब का योग . .	0.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1576-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—आनन्दगढ़
(घ) क्षेत्रफल—4.829 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
397	0.441
399	0.064
395	0.034
400	0.005
402	0.133
409	0.011
408	0.085
410	0.001
413	0.070
412	0.002
362	0.074
363	0.008
350	0.086
351	0.065
348	0.021
347	0.064
346	0.023
265	0.017
269	0.057
271	0.075
274	0.006
272	0.053
273	0.046
284	0.001
285	0.079
286	0.048
287	0.035
282	0.001
290	0.061
306	0.214
305	0.018
304	0.028
308	0.083
38	0.190
39	0.142
40	0.158
43	0.068
42	0.001
44	0.091
65	0.001
67	0.002
56	0.021
47	0.009
48	0.028
50	0.026
49	0.043
52	0.099
28	0.083
18	0.060
7	0.110
470	0.048
486	0.065
471	0.023
472	0.015
473	0.041
477	0.045
478	0.009
476	0.022
479	0.050
174	0.070
172	0.016
173	0.065
176	0.030
169	0.010
168	0.048
188	0.021
159	0.105
158	0.005
161	0.015
162	0.147
163	0.014
134	0.048
135	0.072
142	0.001
132	0.098
131	0.001
136	0.001
140	0.095
139	0.015
120	0.044
122	0.003
121	0.110
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	4.493

(1)	(2)
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
396	0.028
411	0.012
283	0.054
270	0.011
288	0.003
289	0.086
17	0.017
487	0.111
171	0.002
1	0.012
म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.336
अ + ब का योग . .	4.829

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 1 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1578-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—विधुई खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—0.625 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
188	0.023
189	0.027
200	0.001
233	0.150
235	0.021
234	0.014
231	0.100
229	0.034
230	0.003
226	0.078
166	0.007
165	0.030
163	0.012
164	0.030
162	0.025
161	0.005
139	0.019
140	0.043
138	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	0.623
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
136	0.002
म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.002
अ + ब का योग . .	0.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1580-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—रामगढ़

(घ) क्षेत्रफल—1.491 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
184	0.009
63	0.069
65	0.008
66	0.171
59	0.014
53	0.049
50	0.154
49	0.020
29	0.017
31	0.036
32	0.085
33	0.015
34	0.007
17	0.003
35	0.057
16	0.045
14	0.045
13	0.050
9	0.009
8	0.027
7	0.043
6	0.035
5	0.069
1	0.024
4	0.016
3	0.021
2	0.005
69	0.112
70	0.009
71	0.099
311	0.044
313	0.112
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	1.479
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
64	0.012
म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.012
अ + ब का योग . .	1.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1582-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम—अजमाइन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.515 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
12	0.101
14	0.046
13	0.010
34	0.006
33/754	0.033
33	0.065
67	0.001
68	0.051
69	0.020
70	0.023
71	0.030
72	0.062
297	0.005
298	0.039
299	0.038
300	0.040
301	0.001

(1)	(2)
293	0.044
304	0.071
305	0.049
317	0.027
319	0.025
325	0.075
327	0.003
328	0.013
329	0.002
262	0.024
330	0.014
350	0.043
351	0.065
353	0.021
456	0.002
354	0.004
455	0.017
450	0.034
449	0.020
448	0.022
388	0.005
391	0.027
395	0.112
394	0.046
744	0.050
742	0.048
731	0.037
730	0.045
729	0.057
728	0.056
721	0.007
710	0.048
709	0.031
712	0.002
708	0.052
707	0.011
706	0.052
705	0.071
704	0.043
703	0.063
702	0.010
696	0.001
700	0.072
699	0.014
698	0.044
622	0.001
624	0.058
623	0.075
610	0.031
615	0.006
612	0.063
613	0.035
614	0.051
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	2.470
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
76	0.011
264	0.008
263	0.014
403	0.012
म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.045
अ + ब का योग . .	2.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1584-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—ललितपुर नं. 2
(घ) क्षेत्रफल—2.484 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
555	0.115
556/649	0.086
554	0.095
552	0.058
551	0.042

(1)	(2)
36	0.092
543	0.002
37/1	0.106
37/2	0.063
38	0.125
42	0.013
41	0.063
490	0.040
489	0.072
488	0.145
470	0.127
455/645	0.005
455	0.023
454	0.003
451	0.037
452	0.037
447	0.033
448	0.003
360	0.043
361	0.005
359	0.044
363	0.007
358	0.003
364	0.048
365	0.055
366	0.031
305	0.038
367	0.001
368	0.040
369	0.029
370	0.031
297	0.001
225	0.048
391	0.004
394	0.022
221	0.035
220	0.049
396	0.005
219	0.036
218	0.002
397	0.026
398	0.012
399	0.044
400	0.081
408	0.017
407	0.022
410	0.019
406	0.051
7	0.170
8	0.013
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	2.417
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
542	0.038
455/644	0.029
म. प्र. शासन की भूमि का योग—	0.067
अ + ब का योग . .	2.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 1587.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम सुरला, प. ह. नं. 67 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 239.088 हेक्टयर.	ग्राम-पीपरढ़ाना, प. ह. नं. 67

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.